



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234887
CG-DL-E-06042022-234887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]
No. 1538]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/ चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1607(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -353 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217) के महासमुंद सेक्शन के कि.मी. 1.800 से कि.मी. 2.800 में एल.सी. नं-आर.वी.-30 बेलसोंडा में आर.ओ.वी. का निर्माण कार्य के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के सम्बन्ध में अनुसूची के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित, अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -353 (पुराना रा. रा. क्र.-217) पर भूमि का अधिग्रहण के कि.मी. 1.800 से कि.मी. 2.800 में एल.सी. नं- आर.वी.-30 बेलसोंडा में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद ,जिला-महासमुंद	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH353 के कि.मी. 1.8 से 2.8 तक	छत्तीसगढ़	महासमुंद	महासमुंद	1 बेलसोंडा

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1607(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of R.O.B. in LC No. RV-30 Belsonda of National Highway No. 353 in the stretch of land from Km. 1.800 to Km. 2.800 (Mahasamund Section) in the District of Mahasamund in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of R.O.B. in LC No. RV-30 Belsonda on National Highway No. 353 in the state of Chhattisgarh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer(Revenue) and land Acquisition Officer,	1.8Km. To 2.8Km.	CHHATTISGARH	MAHASAMUND	Mahasamund	1 Belsond

	Mahasamund District- Mahasamund				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA]

RAJESH GUPTA, Director